न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गौरव अग्रवाल, आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 39/2020
प्रविष्टि दिनांक 08.07.2020

1–श्रीमति मिनाली शर्मा पत्नि स्व0 पीयूष पुत्र श्री जगदीश शर्मा जाति ब्रहामण उम्र लगभग 28 वर्ष निवासी देवली हाल–निवासी 767 गोपालजी का मन्दिर बारियों का बाग, गंगापोल सुभाष चोक जयपुर राज0 हाल पदस्थापित कनिष्ठ लिपिक पंचायत समिति आमेर जिला–जयपुर राजस्थान

–अपीलार्थी

बनाम

1–श्यामनारायण शर्मा पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति ब्रहामण उम्र लगभग 62 वर्ष निवासी विवेकानन्द कालोनी ,देवली थाना देवली जिला–टोंक

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 15 वरिष्ठ नागरिका भरण पोषण एंव कल्याण अधि0 2007 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली दिनाक 30–8–2019

उपस्थिति : (1) श्री महेश कुमार शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री संजय जैन अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 12–11–2020

अपील सारांश मे इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी देवली ने अपने निर्णय दिनाक 30–8–2019 के द्वारा अपीलाण्ट से रेस्पोडेण्टस को 5000 रूपये प्रतिमाह का अवार्ड पारित किया है। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी देवली के उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए नोटिस की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलाण्ट व रेस्पो0 अभिभाषकों की बहस सुनी।

अभिभाषक अपीलाण्टस ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एकतरफा में पारित किया है जिसमें अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर विधिवत रूप से नहीं दिया गया है एंव जब तक प्रकरण में पक्षकारों को पूर्ण रूप से सुनवाई का मौका ही नहीं दिया जाता तब तक किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित किया जाना प्राकृतिक न्याय के प्रतिकूल है। चूँकि प्रकरण में अपीलार्थी के द्वारा जवाब तक पेश नहीं हुआ न साक्ष्य दी गई है ओर न ही गवाहान गवाही आदि करवाई गई है उसके बावजूद भी उक्त आदेश पारित किया गया है वह निरस्तनीय है। रेस्पोडेण्ट की पत्नि श्रीमति मिनाली शर्मा राजकीय सेवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:02:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

में अध्यापिका के पद पर कार्यरत थी उसनी पेंशन के रूप मे रेस्पोडेण्ट को प्रतिमाह 30000/रूपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा जारी एंव अन्य लाभ परिलाभ भी प्राप्त करता आ रहा है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेंट की पत्नि जब राजकीय सेवा से सेवानिवृत हुई तब लगभग 40–50 लाख रूप्ये की राशि बतौर पी0एफ0 आदि के रूप में प्राप्त हुई थी वह भी रेस्पोडेण्ट के पास ही है। रेस्पोडेन्ट का एक बडा मकान है जिसके कई कमरे किराये पर दे रहखें हैं 8–10 हजार रूप्ये की आय किराये के रूप में हो रही फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर भूल की है। रेस्पो0 अपीलाण्टस को जबरन हेरान परेशान करने की नियत से भरण पोषण राशि का अवार्ड न्यायालय को गुमराह कर पारित करवाया है जो निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा यह भी कथन किया कि अपीलार्थी के दो पुत्र हैं जो दोने ही स्कूल जाते हें उनका समस्त शिक्षा–पढाई का खर्चा मकान किराया आदि समस्त खर्चे अपीलार्थी स्वंय उठाती है अपीलार्थी अभी परिवीक्षा काल में कार्यरत है उसे फिक्स वेतन मिलता है ऐसी स्थिति में बच्चों का खर्चा पूरा नही हो पाता है इसलिए वह किसी भी प्रकार का खर्चा अदा करने में पूर्णतय सक्षम नहीं है। रेस्पोडेण्ट झगडालू किस्म का गुस्सले व्यक्ति है ओर वह अपीलार्थी को उसके पति के जीवनकाल से ही शारीरिक मानसिक, आर्थिक एंव भावनात्मक रूप से रिरन्तर प्रताड़ित करता आ रहा है बल्कि लज्जा भंग करने का भी प्रयास किया था जिस पर रेस्पोडेण्ट के विरूद्व ए0सी0जे0एम0 कम सं 10 जयपुर में प्रकरण पेश कर रखा हे जो जेरकार है। रेस्पोडेण्ट को कोई बीमारी भी नहीं है, ना ही, उनके द्वारा उक्त तथ्यों बाबत किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पेश की है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकी थी, जानकारी प्राप्त होते ही उसने नकल हेतु आवेदन पेश किया नकल प्राप्त होने के पश्चात उनके द्वारा जिला न्यायाधीश टोंक के यहॉ दिनांक 25–2–2020 को अपील प्रस्तुत की गई है,किन्तु क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण उक्त अपील को दिनांक 4–3–2020 को नोटप्रेस करदी गई थी उसके प्स्चात अधिवक्ता द्वारा विधि सलाह प्राप्त की फिर नकल प्राप्ति से प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है, जो विलम्ब हुआ है वह उक्त कारण वंश हुआ है जिसे क्षम्य करने के लिए दफा–5 मियाद धिनियम का प्रार्थना पृथक से पेश है, प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 30–8–2019 को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अभिभाषक ने अपीललान्ट की बहस के जवाब में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह विधिवत रूप से सुनवाई कर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी को विधिवत नोटिस भिजवाये गये जिनकी तामील होने के बावजूद भी अपीलार्थी जानबूझकर माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। जिस पर न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बार–बार जरिए नोटिस बुलाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने एंव विधिसम्मत तरीके से एंव रेस्पोडेण्ट की आर्थिक, शारीरिक परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए रेस्पोडेण्ट के पक्ष में दचित निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी के स्व0 पति व रेस्पोडेण्ट के पुत्र स्व0 पीयूष शर्मा की मृत्यु के बाद जितने भी लाभ, परिलाभ बीमा क्लेम आदि के लगभग 15 लाख रूप्ये आये थे वह सम्पूर्ण राशि अपीलार्थी के पास हैं तथा अपीलार्थी को प्रत्येक माह तन्ख्वाह मिलती है रेस्पोडेट को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नही हुई है। इस कारण रेस्पोडेण्ट के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय उचित है एंव रेस्पोडण्ट अपीलार्थी से भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेण्ट को हेरान परेशान करने व चल–अचल सम्पत्ति को हड़पने की नीयत से आये

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:02:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

दिन अपने परिवारजनों को लेकर देवली आती है ओर लड़ाई झगड़ा करने की अभ्यस्थ रही है तथा रेस्पोडेण्ट के द्वारा स्व0 पीयुष को काफी रूपये खर्च कर दिलवाई गई कार को अपने साथ जयपुर ले गई। जिस पर रेस्पोडेण्ट के द्वारा अपीलार्थी व उसके परिवारजन के विरूद्व पुलिस थाना देवली में दो अलग अलग मुकदमें दर्ज करवा रखे हैं निके एफ0आई0आर0 नम्बर 217/19 व 412/19 हैं। रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व भरण–पोषण का आवेदन पेश करने के उपरान्त प्रकरण की जानकारी होने के बावजूद भी वह तारीख पेशियों पर उपस्थित नहीं हुई ओर भरण–पोषण अदा नहीं करने की नीयत से गलत तथ्य वर्णित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के विरूद्व यह अपील पेश की है जो चलने योग्य नहीं है अपितु खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी रेस्पोझड के पक्ष में जो निर्णय व आदेश पारित किया गया है वह पूर्ण रूप से न्यायोचित है, केवल मात्र अपीलार्थी भरण–पोषण राशि नहीं देना चाहती है इसलिए अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाई जावे।

हमने अभिभाषक अपीलाण्टस एंव रेस्पोडेण्ट के कथन पर मनन किया। प्रकरण की पत्रावलीएंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया। अभिभाषकगण द्वारा ने अपने अपने कथनों की पुष्टि मे दस्तावेजात प्रस्तुत किये है। उक्त अधिनियम की धारा 16 में उल्लेखित है कि "अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई वरिष्ठ नागरिक या माता–पिता, आदेश की तिथि से साठ दिवसों के अन्दर अपील अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा"। अपीलान्ट वरिष्ठ नागरिक नहीं है अतः इस अधिनियम के तहत वह अपील प्रस्तुत नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा पारित निर्णय दिनाक 30–8–2019 में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट्स अस्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–8–2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12–11–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:02:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner